



दिनांक

आज्ञा पत्र

26-8-20

अपीलेंट ने जोबिम वकील जी राजेन्द्र बुडानिया ने एक पार्श्वक पत्र पेश कर अपील काज ही लाबीरव पेशी पर ली जाकर विद्वा करने का निवेदन किया।

अपीलेंट की आईडीए प्रारंभ के साथ पेश है। अपीलेंट की पुर्जा ने भी कंपनी आईडीए पत्र की तथा अपीलेंट को कंपनी माता होना बताया। वकील अपीलेंट ने अपीलेंट की पहचान के हस्ताक्षर किये तथा अपील को अपीलेंट के निवेदन पर अपील को विद्वा किये जाने का निवेदन किया।

अपील अपीलेंट, अपीलेंट के निवेदन पर विद्वा किये जाने पर बर्बाद की जाती है। पचावली बाद तबतील तकमील दारिखत दफतर हो।

निर्णय सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पंचम राजस्व अपील अधिकारी सीकर- (कैम्प इन्डियन)

पंचम राजस्व अपील अधिकारी  
20/8/20  
(राजेन्द्र बुडानिया)  
एड